न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
47 / 2021	24.08.2021	18.11..2022

//उनवान//

1 श्रीराम

2 राजकरण

3 गोपीराम पुत्रान सूरजभान जातियान अहीर निवासीयान फूसापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– प्रार्थीगण

बनाम

1 शुभराम

2 देशराम

3 नरेन्द्र

4 वीरसिंह पुत्रान मंगतूराम

5 संतोष

6 राजबाला

7 सावत्री पुत्रीयान मंगतूराम जातियान जाट निवासीयान सरायकलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

8 श्रीमान लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर।

:– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– पत्थर गढी बाबत
अन्तर्गत धारा – 111, 128 भू0
राजस्व अधि0

उपस्थितिः– श्री रणवीर यादव – वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक– 18.11.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का सारतः [illegible] मूल हाल ख0नं0 106 जिसके ख0नं0 1195 / 106 रकबा 0.32 व 1196 [illegible] 01 है0 बने हैं जो वाके ग्राम सरायकलां तह0 मुण्डावर में [illegible] प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है [illegible] कदीमी मौके पर चालू रहता आया है लेकिन उ[illegible] नहीं था, इसलिए पुराने कदीमी रास्ता जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं थे जिनके [illegible] में अदालत श्रीमान ने आदेश जारी कर कदीमी चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में अंकन कराये गये है इसलिए वर्तमान ख0नं0 106 के दो ख0नं0 1195 / 106 रकबा 0.32 है0 चाही तृतीय एवं ख0नं0 1196 / 106 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया है जो मूल ख0नं0 106 से बने है और प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। हाल ख0नं0 106 के साबिक खसरा नं0 91 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम सरायकलां रहा है। ख0नं0 साबिक 91 या हाल ख0नं0 106 (यानी 1195 / 106 एवं 1196 / 106) प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी में दर्ज है और प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण के ख0नं0 106 (1195 / 106 एवं 1196 / 106) व जमाबंदी सम्वत् 2069से 72 के मुताबिक ख0नं0 91 की

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उत्तरी डोल के साथ अप्रार्थीगण की आराजी जमावंदी सम्वत् 2073 के अनुसार ख0नं0 107 / 0.25 है0 वाके ग्राम सरायकलां में स्थित है उक्त ख0नं0 107 जमावंदी सम्वत् 2069 से 72 के अनुसार ख0नं0 92 रकबा 0.25 है0 अप्रार्थीगण का है। अप्रार्थीगण के हाल ख0नं0 107 में से भी रास्ता जाता है जिसके भी अब 1200 / 107 रकवा 0.19 है0 चाही तृतीय व 1201 / 107 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता 1202 / 107 रकवा 0.05 है0 चाही तृतीय कायम किये गये। अप्रार्थीगण झगड़ालू व्यक्ति है जो लठ के बल पर प्रार्थीगण की आराजी साबिक ख0नं0 91 की उत्तरी डोल को मिसमार करते है। साविक ख0नं0 91 की उत्तरी डोल पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 19.06.2021 के मुताबिक करीब दो गठ्ठा रकवा दवा लिया है अंकित करते हुये प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर हाल ख0नं0 1195 / 106 रकवा 0.32, 1196 / 106 रकबा 0.01 वाके ग्राम सरायकलां तह0 मुण्डावर की पैमाईश दिनांक 19.06.2021 के अनुसार या आराजी की पुनः पैमाईश कराई जाकर, पैमाईश के अनुसार पत्थरगढ़ी कराये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधिवत तलबी अप्रार्थीगण की विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमावंदी सम्वत् 2072 किता 2 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 किता 2 तथा नकल पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 19.06.2021 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये वर्तमान ख0नं0 106 के दो ख0नं0 1195 / 106 रकबा 0.32 है0 चाही तृतीय एवं ख0नं0 1196 / 106 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया है जो मूल ख0नं0 106 से बने है और प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। हाल ख0नं0 106 के साबिक खसरा नं0 91 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम सरायकलां रहा है। ख0नं0 साबिक 91 या हाल ख0नं0 106 (यानी 1195 / 106 एवं 1196 / 106) प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी में दर्ज है और प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण के ख0नं0 106 (1195 / 106 एवं 1196 / 106) व जमाबंदी सम्वत् 2069से 72 के मुताबिक ख0नं0 91 की उत्तरी डोल के साथ अप्रार्थीगण की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2073 के अनुसार ख0नं0 107 / 0.25 है0 वाके ग्राम सरायकलां में स्थित है उक्त ख0नं0 107 जमाबंदी सम्वत् 2069 से 72 के अनुसार ख0नं0 92 रकबा 0.25 है0 अप्रार्थीगण का है। अप्रार्थीगण के हाल ख0नं0 107 में से भी रास्ता जाता है जिसके भी अब 1200 / 107 रकबा 0.19 है0 चाही तृतीय व 1201 / 107 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता 1202 / 107 रकबा 0.05 है0 चाही तृतीय कायम किये गये। अप्रार्थीगण झगड़ालू व्यक्ति है जो लठ के बल पर प्रार्थीगण की आराजी साबिक ख0नं0 91 की उत्तरी डोल को मिसमार [illegible] साबिक ख0नं0 91 की उत्तरी डोल पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 19.06.2021 के मुताबिक करीब [illegible] गठ्ठा रकबा दबा लिया है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल [illegible] नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 किता 2 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 [illegible] 2 तथा नकल पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 19.06.2021 पेश की है जिनके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्पष्ट रूप से साबित है का अभिकथन करते हुये प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीका[illegible]या जाकर हाल ख0नं0 1195 / 106 रकबा 0.32, 1196 / 106 रकबा 0.01 वाके ग्राम सरायकलां तह0 मुण्डावर की पैमाईश दिनांक 19.06.2021 के अनुसार या आराजी की पुनः पैमाईश कराई जाकर, पैमाईश के अनुसार पत्थरगढ़ी कराये जाने का निवेदन रहा।

वकील प्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी ख0नं0 1195/106 रकबा 0.32 है0 व 1196/106 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर की पुनः पैमाईश कराई जाकर मुताबिक पैमाईश पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **18.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

18-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested